भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1336

जिसका उत्तर 1 अगस्त, 2023/10 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया

बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा

1336. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बैंकों के विलय के बाद जमा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उच्च-प्रतिफल अग्रिम उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाने और उनके चालू खाते और बचत खाते के अधिग्रहण को मजबूत करने के लिए कौन सी रणनीतियों या पहलों की सिफारिश की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूर्व चेतावनी संकेतों की कवरेज बढ़ाने और उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) क्या पीएसबी अपनी परिचालन दक्षता और ग्राहक अनुभव को बेहतर करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग कर रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कार्यों और कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण और प्रबंधन की शक्ति उनके बोर्ड में निहित है। तदनुसार, पीएसबी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार सभी वाणिज्यिक और कारोबार संबंधी निर्णय लेते हैं।

पीएसबी से प्राप्त सूचना के अनुसार , जमाराशि के क्षेत्रों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के समाधान के लिए, अधिक आय वाले अग्रिमों के सृजन की उनकी क्षमता को बढ़ाने और उनके कासा अर्जन को सुदृढ़ बनाने, आरंभिक चेतावनी संकेतों के कवरेज को बढ़ाने और उच्च-जोखिम वाले उधारकर्ताओं की पहचान करने और परिचालनात्मक क्षमता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ -साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(i) ग्राहकों को बनाए रखने के लिए विश्लेषिकी का प्रयोग करते हुए उत्पादों का प्रस्ताव उत्पादों के निरंतर नवोन्मेष और विनिर्दिष्ट क्षेत्र के आधार पर करना;

(ii) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जैसे वीडियो केवाईसी का उपयोग, डिजिटल केवाईसी सत्यापन द्वारा ग्राहकों की सहज और निर्बाध ऑनबोर्डिंग;

(iii) मौजूदा जमाराशि को बनाए रखने और नई जमाराशि अजित करने और डिजिटली समर्थित ग्राहक प्रस्तावों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना;

(iv) प्रस्तावित सेवाओं की औसत संख्या में वृद्धि, ग्राहकों अनुकूल विशेषताएं और ग्राहक इंटरफेस पर उपलब्ध भाषाएं आदि के माध्यम से मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पहुंच को बढ़ाना;

(v) बड़े पीएसबी द्वारा ग्राहकों की आवश्यकता के संबंध में विश्लेषणात्मक ऋण प्रस्तावों पर ज़ोर देना और डिजिटल चैनलों के माध्यम से डिजिटल खुदरा ऋण अनुरोध पर कार्रवाई प्रारंभ करना;

(vi) समयबद्ध रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु ~80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स तथा तृतीय पक्ष आंकड़ों का उपयोग करके व्यापक, स्वचलित आरंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की स्थापना**;**

(vii) संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग; और

(viii) आधुनिक तकनीकी क्षमताएं जैसे ओपन एपीआई, एआई, बलॉकचेन, विश्लेषिकी आदि का उपयोग।

उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, पीएसबी की जमाराशि और अग्रिमों जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8.2% और 9.8% थी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 9.3% और 15.8% हो गई।

*****